



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 669]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 11, 2012/चैत्र 22, 1934

No. 669]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 11, 2012/CHAITRA 22, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2012

का.आ. 800(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सारणी के क्रमशः स्तंभ (1) और स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यांक और नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यांक के, सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट सेक्शन के, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट सड़क खंड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात् :—

## सारणी

नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	पुरानी राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	किमी में सड़क खंड
65	9	आंध्र प्रदेश राज्य में कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा-संगारेड्डी	किमी 423.800 से किमी 493.000
65	9	कर्नाटक राज्य में महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा	किमी 348.800 से किमी 423.800
50	13	होस्पेट-चित्रदुर्ग खंड	किमी 299.000 से किमी 418.600
67	63	होस्पेट-बेल्लारी-कर्नाटक/ आंध्र प्रदेश सीमा	किमी 280.300 से किमी 375.740

[फा. सं. एनएच-14013/18/2011-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2012

S.O. 800(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretches, specified in column (4) of the Table below of the Section specified in the corresponding entry in column (3) of the Table, of the New National Highway Number and the Old National Highway Number specified in the corresponding entry in columns (2) and (1) respectively of the Table, to the National Highways Authority of India, namely :—

TABLE

New National Highway No.	Old National Highway No.	Section	Stretches in Kilometers
659		Karnataka/Andhra Pradesh Border-Sangareddy in the state of Andhra Pradesh	From km. 423.800 to km. 493.000
65	9	Maharashtra-Karnataka Border	From km. 348.800 to km. 423.800
50	13	Hospet-Chitradurga Section	From km. 299.000 to km. 418.600
67	63	Hospet-Bellary-Karnataka/Andhra Pradesh in the state of Karnataka	From km. 280.300 to km. 375.740

[F. No. NH-14013/18/2011-P&amp;M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2012

**का.आ. 801(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 1 और 11 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

- “1 राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4, सं. 9 [किमी 40.000 से किमी 266.400 तक (हैदराबाद से नंदीग्राम से विजयवाड़ा तक) और किमी 423.800 से किमी 493.000 तक (कर्नाटक सीमा-संगरेडी खंड) खंड को छोड़कर], सं. 16, सं. 18 [किमी 167.750 से किमी 365.502 तक (कादपा से कूरनूल) खंड को छोड़कर], सं. 18ए, सं. 43, सं. 63, सं. 202 [किमी 18.600 से किमी 54.000 तक (हैदराबाद से यदगिरी) खंड को छोड़कर], सं. 205, सं. 214, सं. 214ए, सं. 219, सं. 221, सं. 222 और सं. 234 का उतना भाग जो आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है।
- 11 राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 [किमी 0.00 से किमी 592.0 (बंगलौर से कर्नाटक/महाराष्ट्र सीमा) और किमी 216.914 से किमी 318.000 (बंगलौर-होसकोटे-कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4ए [किमी 0.00 से किमी 84.120 (बेलगांव-गोवा/कर्नाटक सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 9 [किमी 348.800 से किमी 423.800 (महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 13 [किमी 102.00 से किमी 418.600 (बीजापुर-हुनुंड-होसपेट-चित्रदुर्ग खंड) और किमी 743.900 से किमी 745.000 (मरोली जंक्शन से ननतूर जंक्शन) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 [किमी 3.700 से किमी 17.200, किमी 283.300 से किमी 376.700 (कुंदरपुर-सूरतकल-ननतूर-मंगलौर-कर्नाटक/केरल सीमा) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 [किमी 28.200 से किमी 189.500 (राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर नीलमंगला जंक्शन से देवीहल्ली से हसन तक) और कि.मी. 328.000 से किमी 345.000 (बीसी रोड से पाडिल जंक्शन) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 63 [किमी 280.300 से किमी 375.740 (होसपेट-बेल्लारी-कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 67, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 206, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 207, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 209, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 212, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 218 (बीजापुर से एक्सटेंशन सहित और जेवरगी-गुलबर्ग को जोड़ते हुए और होमनाबाद के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त) और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 234 का उतना भाग जो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है।

आंध्र प्रदेश  
राज्य सरकारकर्नाटक राज्य  
सरकार”।

[फा. सं. एनएच-14013/18/2011-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

**पाद टिप्पण :**—मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार सं. का.आ. 453(अ), तारीख 16 मार्च, 2012 द्वारा संशोधित किया गया था।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2012

**S.O. 801(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment's in the notification of the Government of India in

the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the Schedule to the said notification, for serial numbers I and II and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

- “I So much of National Highways No. 4, No. 9 [excluding from Km. 40.000 to Km. 266.400 (from Hyderabad to Nandigama to Vijayawada) and from Km. 423.800 to Km. 493.000 (Karnataka Border -Sangareddy)], No. 16, No. 18 [excluding from Km. 167.750 to Km. 356.502 (Kadapa to Kurnool)], No. 18A, No. 43, No. 63, No. 202 [excluding from Km.18.600 to Km. 54.000 (from Hyderabad to Yadgiri)], No. 205, No. 214, No. 214 A, No. 219, No. 221, No. 222 and No. 234 as are situated within the State of Andhra Pradesh. State Government of Andhra Pradesh
- II. So much of National Highway No. 4 [excluding from Km. 0.0 to Km. 592.0 (Bangalore to Karnataka/Maharashtra Border) and from Km. 216.914 to Km. 318.000 (Bangalore-Hoskote-Karnataka/Andhra Pradesh Border)], National Highway No. 4A [excluding from Km. 0.000 to Km. 84.120 (from Belgaum-Goa/Karnataka Border)], National Highway No. 9 [excluding from Km. 348.800 to Km. 423.800 (Maharashtra/Karnataka Border)], National Highway No. 13 [excluding from Km. 102.00 to Km. 418.600 (Bijapur-Hungund-Hospet-Chitradurga section) and from Km. 743.900 to Km.745.000 (Maroli Junction to Nanthoor Junction)], National Highway No.17 [excluding from Km. 3.700 to Km. 17.200, Km. 283.300 to Km. 376.700 (Kundarpur- Surathkal- Nanthoor- Mangalor- Karnataka/Kerala Border)], National Highway No. 48 [excluding from Km. 28.200 to Km. 189.500 (Nelamangala Junction on National Highway No. 4 with National Highway No. 48 to Devihalli to Hassan) and from Km. 328.000 to Km. 345.000 (B.C Road to Padil Junction)], National Highway No. 63 [excluding from Km. 280.300 to Km. 375.740 (Hospet-Bellary- Karnataka/Andhra Pradesh Border)], National Highway No. 67, National Highway No. 206, National Highway No. 207, National Highway No. 209, National Highway No. 212, National Highway No.218 (including extension from Bijapur and connecting Jevargi-Gulbarga and terminating at its junction with National Highway No. 9 near Hornnabad) and National Highway No. 234 as are situated within the State of Karnataka. State Government of Karnataka.”

[F.No. NH-14013/18/2011-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Foot Note :—The principal notification was published *vide* number S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 453(E), dated the 16th March, 2012.